

दिनांक ४.१०.२०२१ का पत्र

५.१०.२०२१

Not
Provs

Er

पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें पत्रकारों को
गोपनीयता का अधिकार है और इसे पत्रकारिता के अंग के रूप में
कानून द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। पत्रकारों को
सूचना के अधिकार का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए
और वे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कार्य कर सकते हैं।
यदि कोई भी व्यक्ति सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है
तो उसे सख्त सजा दी जाननी चाहिए।

२५
५.१०.२०२१

